



**उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट)  
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (उत्तराखण्ड शासन)  
विज्ञान धाम, झाजरा, देहरादून**

**कार्यालय उपयोगार्थ दैनिक/मासिक किराये के वाहन हेतु निविदा सूचना :-**

**वित्तीय वर्ष 2021-22**

**निविदा सूचना 19397/वि0प्रौ0प0/01/2021 दिनांक 30 मार्च, 2021**

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा समय-समय पर आयोजित सेमीनार, कार्यशाला आदि में प्रतिभाग करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों, शोध छात्रों के प्रयोगार्थ दैनिक एवं मासिक आधार पर किराये के वाहनों हेतु स्थानीय फर्मों से निविदा (Quotation) आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ दिनांक 12.04.2021 की अपराह्न 02:00 बजे तक आमंत्रित हैं। विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट [www.ucost.in](http://www.ucost.in) पर उपलब्ध है।

प्रशासनिक अधिकारी  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद



उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट)  
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (उत्तराखण्ड शासन)  
विज्ञान धाम, झाजरा, देहरादून

कार्यालय उपयोगार्थ दैनिक/मासिक किराये के वाहन हेतु निविदा सूचना :-

वित्तीय वर्ष 2021-22

- 1- निविदा सूचना सं० 19397 / वि०प्रौ०प० / 01 / 2021 दिनांक 30 मार्च, 2021
- 2-निविदा जमा करने की तिथि- दिनांक 12-04-2021 को 02:00 बजे अपरान्ह तक।
- 3-निविदा खोले जाने की तिथि- दिनांक 12-04-2021 को सायं 03:00 बजे।
- 4-निविदा प्रेषण स्थान- विज्ञान धाम, झाझरा, देहरादून।
- 5-निविदादाता फर्म/संस्था का नाम व पता .....
- 7-धरोहर धनराशि- ₹ 30,000 /- (₹ तीस हजार मात्र)
- 8-वाहन विवरण-

Category of Journey	Compact Sedan Type (Zest/Tata IndiGo/ Swift/ Dzire or equivalent vehicle)	Maxi Cab (Travera/ Sumo/ Scorpio or equivalent vehicle)	Multipurpose Car (Innova/ Xylo or equivalent vehicle)	Luxury Sedan type car (Honda City or equivalent vehicle)	Tempo Traveller	Bus (52 seater)
(A) Vehicle hire charges per day basis (8hrs with 80 km) for local journey						
(i) Detention charges beyond 8 hrs on hours basis						
(ii) Per km charges beyond 80 km						
(B) Vehicle hire charges per day basis (8hrs with 80 km) for outstation journey including night halt charges						
(i) Detention charges beyond 8 hrs on hours basis						
(ii) Per km charges beyond 80 km						
(C) Pickup/Drop from Dehradun Airport to UCOST and Vice-versa						

(D)	Pickup/Drop from Dehradun Railway Station/Dehradun Bus Station to UCOST and Vice-versa						
(E)	Pickup/Drop from Saharanpur/Haridwar Railway Station to UCOST and Vice-versa						
(F)	Pickup/Drop from Dehradun to Delhi Airport/Delhi Railway Station and Vice-versa						
(G)	Local movement of Vehicle in New Delhi and near by areas on per day basis (8hrs with 80 km)						
(H)	Hire Charges for one month						

## नियम एवं शर्तें

1. दरें वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मान्य होगी। आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ायी जा सकती है।
2. नियमानुसार जी0एस0टी0 की दरें पृथक रूप से अंकित करें।
3. वाहन अच्छी स्थिति का (वर्ष 2019 से पूर्व का न हो) तथा पंजीकृत हो (वाणिज्य वाहन) एवं चालक के पास पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र हेतु वैद्य लाइसेंस होना अनिवार्य है।
4. फर्म/सेवा प्रदत्ता के पास कम से कम 5 वाहन होना अनिवार्य है।
5. निविदा के साथ मात्र ₹ 30,000/- की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 जो कि महानिदेशक, यूकोस्ट, देहरादून के नाम बन्धक हो, संलग्न करना होगा।
6. फर्म/संस्था/एजेन्सी का पेन नं0 एवं जी0एस0टी0 नं0 की छायाप्रति संलग्न करें।
7. वाहन के पंजीकरण एवं बीमा से सम्बन्धित अन्य आवश्यक प्रपत्र पूर्ण होने चाहिए।
8. वाहन में फ्यूल तथा अन्य व्यय स्वयं वाहन स्वामी/फर्म को वहन करना होगा।
9. राजकीय विभागों में कार्य करने वाली फर्मों को वरीयता दी जाएगी।
10. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
11. वाहन में किसी भी प्रकार की कमी/दुर्घटना अथवा जान-माल की हानि के लिये फर्म पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी।
12. यात्रा के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति में तत्काल उसी स्थान पर अच्छा वाहन उपलब्ध कराना फर्म का उत्तरदायित्व होगा।
13. कार्य संतोषजनक न होने की दशा में बीजक की धनराशि में 20 प्रतिशत कटौती का अधिकार विभाग को होगा।
14. कार्य न करने की दशा में जमा बन्धक धनराशि जब्त करने का अधिकार परिषद का होगा।
15. वाहन चालक के ड्यूटी से नदारद होने/मोबाईल बन्द करने/शराब के नशे में पाये जाने की दशा में तद्दिनांक का वाहन किराया देय नहीं होगा एवं अग्रेत्तर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
16. फर्म द्वारा चालक के साथ ड्यूटी स्लिप पर वाहन सं0, चालक का मोबाईल नम्बर, दिनांक, समय, मीटर रीडिंग अंकित करना अनिवार्य होगा।
17. महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को समस्त निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।
18. वित्तीय तथा पात्रता/शर्तों से सम्बन्धित निविदा अलग-अलग लिफाफे में तथा दोनो लिफाफे एक साथ बड़े लिफाफे में सील बन्द निविदा प्रस्तुत करें।
19. विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

नोट— हमने विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। विभाग द्वारा मांगी गई सूचनायें हमारी फर्म द्वारा सही-सही दी गई है। यदि कोई जानकारी असत्य पायी गई तो फर्म इसके लिये स्वयः उत्तरदायी रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

नाम .....